

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897

(1897 का अधिनियम संख्यांक 10)¹

[11 मार्च, 1897]

1868 और 1887 के जनरल क्लाजेज ऐक्टों के समेकन और विस्तारण के लिए अधिनियम

1868 (1868 का 1) और 1887 (1887 का 1) के जनरल क्लाजेज ऐक्टों का समेकन और विस्तारण समीचीन है ; अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—(1) यह अधिनियम साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 कहा जा सकेगा । ^{2***}

^{2*} * * * *

2. [निरसित 1]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1903 (1903 का 1) की धारा 4 और अनुसूची 3 द्वारा निरसित ।

साधारण परिभाषाएं

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाए गए सब केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों में, जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(1) “दुष्प्रेरण” का उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के सहित, वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में है ;

(2) “कार्य” का उपयोग जब किसी अपराध या सिविल दोष के प्रति निर्देश से किया जाता है तब उसके अन्तर्गत कार्यावली आएगी तथा उन शब्दों का, जो किए गए कार्यों के प्रति निर्देश करते हैं, विस्तार अवैध लोगों तक भी होगा ;

(3) “शपथपत्र” के अन्तर्गत, ऐसे व्यक्तियों की दशा में जो शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, प्रतिज्ञान और घोषणा आएंगी ;

(4) “बैरिस्टर” से इंग्लैण्ड या आयरलैण्ड का बैरिस्टर अथवा स्काटलैण्ड की फकैल्टी आफ एडवोकेट्स का सदस्य अभिप्रेत होगा ;

(5) “ब्रिटिश भारत” से गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के भाग 3 के प्रारम्भ से पूर्व की कालावधि के बारे में हिज मैजिस्ट्री के अधिक्षेत्रों के भीतर के वे सब राज्यक्षेत्र और स्थान अभिप्रेत होंगे जो हिज मैजिस्ट्री द्वारा भारत के गवर्नर-जनरल के माध्यम से या किसी राज्यपाल से या भारत के गवर्नर-जनरल के अधीनस्थ किसी आफिसर के माध्यम से तत्समय शासित होते थे तथा उस तारीख के पश्चात् और भारत डोमिनियन की स्थापना की तारीख से पूर्व की किसी कालावधि के बारे में वे सब राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं जो राज्यपाल प्रान्तों और मुख्य आयुक्त प्रान्तों में तत्समय समाविष्ट थे, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के भाग 3 के प्रारम्भ से पूर्व पारित या बनाई गई किसी भारतीय विधि में ब्रिटिश भारत के प्रति निर्देश के अन्तर्गत बरार के प्रति निर्देश नहीं आएगा ;

(6) “ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र” से, यूनाइटेड किंगडम का अपवर्जन करके, हर मैजिस्ट्री के अधिक्षेत्रों का कोई भाग अभिप्रेत होगा और जहां कि उन अधिक्षेत्रों के भाग केन्द्रीय और स्थानीय विधान-मंडल, दोनों के अधीन हैं, वहां केन्द्रीय विधान-मंडल के अधीन सभी भाग इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए एक ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र समझे जाएंगे ;

¹ चयन समिति की रिपोर्ट के लिए, देखिए भारत का राजपत्र, 1897, भाग 5, पृष्ठ 77 और परिषद् में प्रक्रिया के लिए, देखिए भाग 5, पृष्ठ 77, पृष्ठ 35, पृष्ठ 40, पृष्ठ 56 और पृष्ठ 76 ।

यह अधिनियम संधाल परगना पुनर्वास विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा संधाल परगना में ; पंथ पिपलौदा विधि विनियम, 1929 (1929 का 1) की धारा 2 द्वारा पंथ पिपलौदा में ; खोंडमाल विधि विनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खोंडमाल जिले में ; और अंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अंगुल जिले में प्रवृत्त हुआ घोषित किया गया है ।

इस अधिनियम का बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा बरार पर और विलयित राज्य (विधियां) अधिनियम, 1949 (1949 का 59) द्वारा नए प्रान्तों और विलयित राज्यों पर भागतः विस्तार किया गया है ।

इस अधिनियम का 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा उपान्तरणों सहित गोवा, दमण और दीव में ; 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नगर हवेली में ; 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा पांडिचेरी में ; और 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्षद्वीप, मिनीकोय और अमीनदीवी क्षेत्रों पर विस्तार किया गया ।

इस अधिनियम का असम कमिशनर्स पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐक्ट, 1939 (1939 का असम अधिनियम सं० 1) द्वारा असम में संशोधन किया गया ।

² 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची II द्वारा उपधारा (1) में शब्द “और” और उपधारा (2) निरसित ।

³ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(7) “केन्द्रीय अधिनियम” से संसद् का अधिनियम अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत आएं—

(क) संविधान के प्रारम्भ से पूर्व पारित डोमिनियन विधान-मंडल का या भारतीय विधान-मंडल का अधिनियम ; तथा

(ख) ऐसे प्रारम्भ से पूर्व सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा अथवा विधायी हैसियत में कार्य करते हुए गवर्नर-जनरल द्वारा बनाया गया अधिनियम ;

(8) “केन्द्रीय सरकार” से—

(क) संविधान के प्रारम्भ से पूर्व की गई किसी बात के सम्बन्ध में, यथास्थिति, गवर्नर-जनरल या सपरिषद् गवर्नर-जनरल अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत आएं—

(i) गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 124 की उपधारा (1) के अधीन किसी प्रान्त की सरकार को न्यस्त कृत्यों के सम्बन्ध में उस उपधारा के अधीन उसे दिए गए प्राधिकार की परिधि के भीतर कार्य करती हुई प्रान्तीय सरकार ; तथा

(ii) किसी मुख्य आयुक्त प्रान्त के प्रशासन के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (3) के अधीन उसे दिए गए प्राधिकार की परिधि के भीतर कार्य करता हुआ मुख्य आयुक्त ; तथा

(ख) संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् की गई या की जाने वाली किसी बात के सम्बन्ध में राष्ट्रपति अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत आएं—

(i) संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य की सरकार को न्यस्त कृत्यों के सम्बन्ध में उस खण्ड के अधीन उसे दिए गए प्राधिकार की परिधि के भीतर कार्य करती हुई राज्य सरकार ; ¹***

(ii) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ से पूर्व किसी भाग ग राज्य के प्रशासन के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 239 या अनुच्छेद 243 के अधीन उसे दिए गए प्राधिकार को परिधि के भीतर कार्य करते हुए, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल या पड़ोसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी ; ²तथा

(iii) किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन उसे दिए गए प्राधिकार की परिधि के भीतर कार्य करते हुए उसका प्रशासक ;]

(9) “अध्याय” से उस अधिनियम या विनियम का, जिसमें वह शब्द आता है, अध्याय अभिप्रेत होगा ;

(10) “मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी” अथवा “मुख्य राजस्व प्राधिकारी” से अभिप्रेत होगा—

(क) उस राज्य में जहां राजस्व बोर्ड है, वह बोर्ड ;

(ख) उस राज्य में जहां राजस्व आयुक्त है, वह आयुक्त ;

(ग) पंजाब में, वित्तीय आयुक्त ; तथा

(घ) अन्यत्र, ऐसा प्राधिकारी जिसे संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित विषयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे ;

(11) “कलेक्टर” से किसी प्रेसिडेन्सी नगर में, यथास्थिति, कलकत्ता, मद्रास या मुम्बई का कलेक्टर तथा अन्यत्र, किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक आफिसर, अभिप्रेत होगा ;

(12) “उपनिवेश” से—

(क) गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के भाग 3 के प्रारम्भ के पश्चात् पारित किसी केन्द्रीय अधिनियम में, ब्रिटिश द्वीप समूह को, भारत और पाकिस्तान डोमिनियनों को (और उन डोमिनियनों की स्थापना के पूर्व ब्रिटिश भारत को) स्टेट्यूट आफ वैस्टमिनस्टर, 1931 में यथापरिभाषित किसी डोमिनियन को, उक्त डोमिनियनों में से किसी के भागरूप प्रान्त या राज्य को और ब्रिटिश बर्मा को अपवर्जित करके, हिज मैजिस्ट्री के अधिक्षेत्रों का कोई भी भाग अभिप्रेत होगा; तथा

¹ विधि अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा “और” शब्द का लोप किया गया।

² विधि अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा अंतःस्थापित।

(ख) उक्त अधिनियम के भाग 3 के प्रारम्भ से पूर्व पारित किसी केन्द्रीय अधिनियम में, ब्रिटिश द्वीप समूह को और ब्रिटिश भारत को अपवर्जित करके, हिज मैजिस्ट्री के अधिक्षेत्रों का कोई भी भाग अभिप्रेत होगा,

और दोनों दशाओं में से किसी में भी जहां उन अधिक्षेत्रों के भाग केन्द्रीय और स्थानीय दोनों विधान-मंडलों के अधीन हैं वहां केन्द्रीय विधान-मंडल के अधीन के सभी भाग इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए एक उपनिवेश समझे जाएंगे ;

(13) “प्रारम्भ” का उपयोग जब किसी अधिनियम या विनियम के प्रति निर्देश से किया जाता है तब उससे वह दिन अभिप्रेत होगा जिस दिन वह अधिनियम या विनियम प्रवृत्त होता है ;

(14) “आयुक्त” से किसी खण्ड के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक आफिसर अभिप्रेत होगा ;

(15) “संविधान” से भारत का संविधान अभिप्रेत होगा ;

(16) “कौन्सलीय आफिसर” के अन्तर्गत महाकौन्सल, कौन्सल, उप-कौन्सल, कौन्सलीय अभिकर्ता, प्रो-कौन्सल और महाकौन्सल, कौन्सल, उप-कौन्सल या कौन्सलीय अभिकर्ता के कर्तव्यों के पालन के लिए तत्समय प्राधिकृत व्यक्ति आएंगे ;

(17) “जिला न्यायाधीश” से आरम्भिक अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत होगा किन्तु अपनी मामूली या गैर मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता हुआ उच्च न्यायालय इसके अन्तर्गत नहीं आएगा ;

(18) “दस्तावेज” के अन्तर्गत ऐसा कोई विषय आएगा जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधन द्वारा लिखित, अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके ;

(19) “अधिनियमिति” के अन्तर्गत (एतस्मिन्पश्चात् यथापरिभाषित) विनियम तथा बंगाल, मद्रास या मुम्बई संहिता का कोई विनियम आएगा तथा इसके अन्तर्गत किसी अधिनियम में या यथापूर्वोक्त किसी विनियम में अन्तर्विष्ट कोई उपबन्ध भी आएगा ;

(20) “पिता” के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसकी स्वीय विधि दत्तकग्रहण अनुज्ञात करती है दत्तक पिता आएगा ;

(21) “वित्तीय वर्ष” से अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत होगा ;

(22) कोई बात “सद्भावपूर्वक” की गई समझी जाएगी जहां कि वह तथ्यतः ईमानदारी से की गई है, चाहे वह उपेक्षा से की गई है या नहीं ;

(23) “सरकार” के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और कोई भी राज्य सरकार दोनों आएंगी ;

(24) “सरकारी प्रतिभूतियां” से केन्द्रीय सरकार की या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियां अभिप्रेत होंगी किन्तु संविधान के प्रारम्भ से पूर्व बनाए गए किसी अधिनियम या विनियम में किसी भाग ख राज्य की सरकार की प्रतिभूतियां इसके अन्तर्गत नहीं आएंगी ;

(25) “उच्च न्यायालय” का उपयोग जब किन्हीं सिविल कार्यवाहियों के प्रति निर्देश से किया जाता है तब उससे भारत के उस भाग में का अपील का सर्वोच्च सिविल न्यायालय अभिप्रेत होगा (जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय नहीं आता है) जिस भाग में वह अधिनियम या विनियम प्रवर्तन में है जिसमें वह पद अन्तर्विष्ट है ;

(26) “स्थावर सम्पत्ति” के अन्तर्गत भूमि, भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और वे चीजें, जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, आएंगे ;

(27) “कारावास” से भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में यथापरिभाषित दोनों में से किसी भांति का कारावास अभिप्रेत होगा ;

(28) “भारत” से अभिप्रेत होंगे—

(क) भारत डोमिनियन की स्थापना के पूर्व की किसी कालावधि के बारे में, हिज मैजिस्ट्री के उस समय महाधिपत्याधीन भारतीय शासकों के सब राज्यक्षेत्रों के और ऐसे भारतीय शासकों के महाधिपत्याधीन के सब राज्यक्षेत्रों के और जनजाति क्षेत्रों के सहित ब्रिटिश भारत ;

(ख) “भारत डोमिनियन” की स्थापना के पश्चात् और संविधान के प्रारम्भ के पूर्व की किसी कालावधि के बारे में, उस डोमिनियन के तत्समय अन्तर्गत सब राज्यक्षेत्र ; तथा

(ग) संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् की किसी कालावधि के बारे में, भारत के राज्यक्षेत्र में तत्समय समाविष्ट सब राज्यक्षेत्र ;

(29) “भारतीय विधि” से कोई ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, नियम, आदेश, उपविधि या अन्य लिखित अभिप्रेत होगी जो संविधान के प्रारम्भ के पूर्व भारत के किसी प्रान्त या उसके किसी भाग में विधि का बल रखती थी अथवा तत्पश्चात् किसी भाग क राज्य या भाग ग राज्य या उसके किसी भाग में विधि का बल रखती है किन्तु यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट का कोई अधिनियम या ऐसे अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई सपरिषद् आदेश, नियम या अन्य लिखित इसके अंतर्गत नहीं आएगी ;

(30) “भारतीय राज्य” से कोई ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत होगा जिसे केन्द्रीय सरकार ने संविधान के प्रारम्भ के पूर्व ऐसे राज्य के रूप में मान्यता दे रखी थी चाहे वह राज्यक्षेत्र राज्य, एस्टेट, जागीर या अन्य नाम से वर्णित रहा हो ;

(31) “स्थानीय प्राधिकारी” से नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, पत्तन आयुक्तों का निकाय या अन्य प्राधिकारी जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है, अभिप्रेत होगा ;

(32) “मजिस्ट्रेट” के अन्तर्गत ऐसा हर व्यक्ति आएगा जो तत्समय प्रवृत्त दंड प्रक्रिया संहिता (1860 का 45) के अधीन मजिस्ट्रेट की सब या किसी शक्ति का प्रयोग कर रहा है ;

(33) “मास्टर” का उपयोग जब किसी पोत के बारे में किया जाता है तब उससे (पाइलट या बन्दरगाह मास्टर से भिन्न) ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा जो पोत का तत्समय नियंत्रण या भारसाधन कर रहा है ;

(34) “विलीन राज्यक्षेत्रों” से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत होंगे जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 290ए के अधीन बनाए गए आदेश के आधार पर संविधान के प्रारम्भ के अव्यवहित पूर्व इस प्रकार शासित होते थे मानो वे किसी राज्यपाल प्रान्त के भाग हों या कोई मुख्य आयुक्त प्रान्त हों ;

(35) “मास” से ब्रिटिश कलेण्डर के अनुसार संगणित मास अभिप्रेत होगा ;

(36) “संगम संपत्ति” से स्थावर संपत्ति के सिवाय हर भांति की संपत्ति अभिप्रेत होगी ;

(37) “शपथ” के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में जो शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, प्रतिज्ञान और घोषणा आएंगी ;

(38) “अपराध” से ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत होगा जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दण्डनीय किया गया है ;

(39) “शासकीय राजपत्र” या “राजपत्र” से भारत का राजपत्र या किसी राज्य का शासकीय राजपत्र अभिप्रेत होगा ;

(40) “भाग” से उस अधिनियम या विनियम का, जिसमें वह शब्द आता है, भाग अभिप्रेत होगा ;

(41) “भाग क राज्य” से [संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 के पूर्व यथा प्रवृत्त] संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत होगा, “भाग ख राज्य” से उस अनुसूची के भाग ख में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत होगा, तथा “भाग ग राज्य” से उस अनुसूची के भाग ग में तत्समय विनिर्दिष्ट राज्य अथवा संविधान के अनुच्छेद 243 के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा तत्समय प्रशासित राज्यक्षेत्र अभिप्रेत होगा ;

(42) “व्यक्ति” के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, आएगा ;

(43) “राजनीतिक अभिकर्ता” से,—

(क) भारत के बाहर के किसी राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में वह प्रधान आफिसर, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, ऐसे राज्यक्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ; तथा

(ख) भारत के भीतर के किसी राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में जिसमें उस अधिनियम या विनियम का, जिसमें वह पद अन्तर्विष्ट है, विस्तार नहीं है, ऐसा कोई आफिसर जो उस अधिनियम या विनियम के अधीन राजनीतिक अभिकर्ता की सब शक्तियों या उनमें से किसी का प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त है,

अभिप्रेत होगा ;

(44) “प्रेसिडेन्सी नगर” से, यथास्थिति, कलकत्ता, मद्रास या मुम्बई के उच्च न्यायालय की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता की तत्समय स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत होंगी ;

(45) “प्रान्त” से प्रेसिडेन्सी, राज्यपाल प्रान्त, उपराज्यपाल प्रान्त या मुख्य आयुक्त प्रान्त अभिप्रेत होगा ;

¹ विधि अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा अंतःस्थापित ।

(46) “प्रान्तीय अधिनियम” से प्रान्त के सपरिषद् राज्यपाल, सपरिषद् उपराज्यपाल या सपरिषद् मुख्य आयुक्त द्वारा इंडियन कौन्सिल्स ऐक्टों में से किसी के अधीन या गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1915 के अधीन बनाया गया कोई अधिनियम अथवा प्रान्त के स्थानीय विधान-मंडल या राज्यपाल द्वारा गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अधीन बनाया गया अधिनियम अथवा प्रान्तीय विधान-मंडल या प्रान्त के राज्यपाल या कोङ्गू विधान परिषद् द्वारा गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अधीन बनाया गया अधिनियम अभिप्रेत होगा ;

(47) “प्रान्तीय सरकार” से संविधान के प्रारम्भ के पूर्व की गई किसी बात के बारे में, संबद्ध प्रान्त में कार्यपालिका सरकार का प्रशासन करने के लिए सुसंगत तारीख पर प्राधिकृत प्राधिकारी या व्यक्ति अभिप्रेत होगा ;

(48) “लोक न्यूसेंस” से भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस अभिप्रेत होगा ;

(49) “रजिस्ट्रीकृत” का उपयोग जब किसी दस्तावेज के बारे में किया जाता है तब उससे दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन [भारत] में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत होगा ;

(50) “विनियम” से ¹[संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन] राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत होगा ²[और इसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया विनियम और] गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1870 या गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1915 या गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, या गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया विनियम आएगा ;

(51) “नियम” से किस अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में बनाया गया नियम अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत किसी अधिनियमिति के अधीन नियम के रूप में बनाया गया विनियम आएगा ;

(52) “अनुसूची” से उस अधिनियम या विनियम की, जिसमें वह शब्द आता है, अनुसूची अभिप्रेत होगी ;

(53) “अनुसूचित जिला” से शीड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, 1874 में यथापरिभाषित शीड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट अभिप्रेत होगा;

(54) “धारा” से उस अधिनियम या विनियम की, जिसमें वह शब्द आता है धारा अभिप्रेत होगी ;

(55) “पोत” के अन्तर्गत नौ परिवहन में उपयोग में लाया जाने वाला हर भांति का ऐसा जलयान आएगा जो केवल पतवारों से चालित न हो ;

(56) “हस्ताक्षर” के अन्तर्गत, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, ऐसे व्यक्ति के प्रति निर्देश से जो अपना नाम लिखने में असमर्थ है, अपने व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित “चिह्न” आएगा ;

(57) “पुत्र” के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण अनुज्ञात करती है, दत्तक पुत्र आएगा ;

³[(58) “राज्य” से—

(क) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ से पूर्व की किसी कालावधि के बारे में, भाग क राज्य, भाग ख राज्य या भाग ग राज्य अभिप्रेत होगा ; तथा

(ख) ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् की किसी कालावधि के बारे में, संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्र आएगा ;]

(59) “राज्य अधिनियम” से संविधान द्वारा स्थापित या चालू रखे गए किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित अधिनियम अभिप्रेत होगा ;

(60) “राज्य सरकार” से—

(क) संविधान के प्रारम्भ से पूर्व की गई किसी बात के बारे में, भाग क राज्य में तत्स्थानी प्रान्त की प्रान्तीय सरकार, भाग ख राज्य में, वह प्राधिकारी या व्यक्ति, जो तत्स्थानी प्रवेशकारी राज्य में कार्यपालिका शासन करने के लिए सुसंगत तारीख पर प्राधिकृत था, और भाग ग राज्य में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत होगी ; ⁴***

(ख) ⁵[संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् और संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ से पूर्व] की गई किसी बात के बारे में, भाग क राज्य में राज्यपाल, भाग ख राज्य में राजप्रमुख और भाग ग राज्य में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत होगी;

⁶[(ग) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ के पश्चात् की गई या की जाने वाली किसी बात के बारे में, राज्य में राज्यपाल और संघ राज्यक्षेत्र में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत होगी,

¹ विधि अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा “भाग क राज्य या भाग ग राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² विधि अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा “संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन और इसके अन्तर्गत” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ विधि अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा पूर्ववर्ती खंड (58) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁴ विधि अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा “और” शब्द का लोप किया गया ।

⁵ विधि अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा “या संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् की गई” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁶ विधि अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा अन्तःस्थापित ।

और भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 258क के अधीन न्यस्त कृत्यों के सम्बन्ध में इसके अन्तर्गत उस अनुच्छेद के अधीन उसे दिए गए प्राधिकार की परिधि के भीतर कार्य करती हुई केन्द्रीय सरकार आएगी] ;

(61) “उपधारा” से उस धारा की, जिसमें वह शब्द आता है, उपधारा अभिप्रेत होगी ;

(62) “शपथ लेना” के अन्तर्गत उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, ऐसे व्यक्तियों की दशा में जो शपथ लेने के स्थान पर प्रतिज्ञान या घोषणा करने के लिए विधि द्वारा अनुज्ञात हैं, प्रतिज्ञान करना और घोषणा करना आएंगे ;

¹[(62क) “संघ राज्यक्षेत्र” से संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत होगा और भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर समाविष्ट किन्तु उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट न किया गया अन्य राज्यक्षेत्र इसके अन्तर्गत आएगा ;

(63) “जलयान” के अन्तर्गत कोई पोत या नौका या नौ परिवहन में उपयोग में आने वाले किसी अन्य भांति का जलयान आएगा ;

(64) “विल” के अन्तर्गत क्रोडपत्र और सम्पत्ति का स्वेच्छया मरणोत्तर व्ययन करने वाला हर लेख आएगा ;

(65) “लेखन” के प्रति निर्देश करने वाले पदों का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत मुद्रण, शिलामुद्रण, फोटोचित्रण और शब्दों का दृश्य रूप में रूपण या प्रत्युत्पादन करने के अन्य ढंगों के प्रति निर्देश आते हैं ; तथा

(66) “वर्ष” से ब्रिटिश कलैन्डर के अनुसार संगणित वर्ष अभिप्रेत होगा ।]

4. पूर्वगामी परिभाषाओं का पूर्व अधिनियमितियों को लागू होना—(1) धारा 3 में निम्नलिखित शब्दों और पदों, अर्थात् “शपथपत्र”, “बैरिस्टर” ^{2***} “जिला न्यायाधीश”, ^{3***} ^{3***} ^{2***} “पिता”, “स्थावर संपत्ति”, “कारावास”, ^{2***} “मजिस्ट्रेट”, “मास”, “जंगम संपत्ति”, “शपथ”, “व्यक्ति”, “धारा”, “पुत्र”, “शपथ लेना”, “विल” और “वर्ष” की परिभाषाएं, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो 1868 की जनवरी के तीसरे दिन के पश्चात् बनाए गए सब ⁴[केन्द्रीय अधिनियमों] को तथा 1887 की जनवरी के चौदहवें दिन को या उसके पश्चात् बनाए गए सब विनियमों को भी लागू होती है ।

(2) उक्त धारा में निम्नलिखित शब्दों और पदों, अर्थात् “दुष्प्रेरण”, “अध्याय”, “प्रारम्भ”, “वित्तीय वर्ष”, “स्थानीय प्राधिकारी”, “मास्टर”, “अपराध”, “भाग”, “लोक न्यूसेंस”, “रजिस्ट्रीकृत”, “अनुसूचित”, “पोत”, “चिह्न”, “उपधारा” और “लेखन” की परिभाषाएं जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, 1887 की जनवरी के चौदहवें दिन को या उसके पश्चात् बनाए गए सब केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों को भी लागू होती है ।

⁵[**4क. कतिपय परिभाषाओं का भारतीय विधियों को लागू होना**—(1) धारा 3 में “ब्रिटिश भारत”, “केन्द्रीय अधिनियम”, “केन्द्रीय सरकार”, “मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी”, “मुख्य राजस्व प्राधिकारी”, “संविधान”, “राजपत्र”, “सरकार”, “सरकारी प्रतिभूतियां”, “उच्च न्यायालय”, “भारत”, “भारतीय विधि”, “भारतीय राज्य”, “विलीन राज्यक्षेत्र”, “शासकीय राजपत्र”, “भाग क राज्य”, “भाग ख राज्य”, “भाग ग राज्य”, “प्रान्तीय सरकार”, “राज्य” और “राज्य सरकार”, पदों की परिभाषाएं जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, सब भारतीय विधियों को लागू होंगी ।

(2) किसी भारतीय विधि में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के राजस्व के प्रति निर्देशों का चाहे वे किन्हीं भी शब्दों में हों, 1950 के एप्रिल के प्रथम दिन को और से यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या उस राज्य की संचित निधि के प्रति निर्देश हैं ।]

अर्थान्वयन के साधारण नियम

5. अधिनियमितियों का प्रवर्तन में आना—⁶[(1) जहां कि किसी केन्द्रीय अधिनियम का किसी विशिष्ट दिन को प्रवर्तन में आना अभिव्यक्त नहीं है वहां वह उस दिन को प्रवर्तन में आएगा जिस दिन को,—

(क) संविधान के पूर्व बनाए गए केन्द्रीय अधिनियम की दशा में, गवर्नर जनरल की, तथा

(ख) संसद् के अधिनियम की दशा में, राष्ट्रपति की,

अनुमति उसे प्राप्त होती है ।]

7*

*

*

*

*

(3) जब तक कि तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त न हो ⁴[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपने प्रारम्भ के पूर्ववर्ती दिन का अवसान होते ही प्रवर्तन में आ गया है ।

¹ विधि अनुकूलन आदेश, 1956 द्वारा अन्तःस्थापित ।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “ब्रिटिश भारत”, “भारत सरकार”, “उच्च न्यायालय” और “स्थानीय सरकार” शब्दों का लोप किया गया ।

³ 1919 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा “हर मजेस्टी” और “दि क्वीन” शब्द निरसित ।

⁴ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिनियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁵ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया था ।

⁶ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

⁷ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया ।

15क. [गवर्नर जनरल के अधिनियम का प्रवर्तन में आना।]—विधि अनुकूलन आदेश, 1947 द्वारा निरसित।

6. निरसन का प्रभाव—जहां कि यह अधिनियम या इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाया गया कोई ²[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम अब तक बनाई गई या एतत्पश्चात् बनाई जाने वाली किसी अधिनियमिति को निरसित कर देता है वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो वह निरसन—

(क) उस निरसन के प्रभावशील होने के समय अप्रवृत्त या अविद्यमान किसी बात को, पुनरुज्जीवित नहीं करेगा ; अथवा

(ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा ; अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा ; अथवा

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा ; अथवा

(ङ) किसी यथा पूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में के किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा,

और ऐसा कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई भी शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो वह निरसन करने वाला अधिनियम पारित ही न हुआ था।

3[6क. अधिनियम या विनियम में पाठीय संशोधन करने वाले अधिनियम का निरसन]—जहां कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाया गया कोई केन्द्रीय अधिनियम या विनियम किसी ऐसी अधिनियमिति को निरसित करता है जिसके द्वारा किसी केन्द्रीय अधिनियम या विनियम का पाठ किसी विषय के अभिव्यक्त लोप, अंतःस्थापन या प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया गया था जब कि भिन्न आशय प्रतीत न हो वह निरसन इस प्रकार निरसित और ऐसे निरसन के समय प्रवर्तमान उस अधिनियमिति द्वारा किए गए किसी ऐसे संशोधन के चालू रहने पर प्रभाव नहीं डालेगा।

7. निरसित अधिनियमियों का पुनरुज्जीवित होना—(1) किसी पूर्णतः या भागतः निरसित अधिनियमिति को पूर्णतः या भागतः पुनरुज्जीवित करने के प्रयोजन के लिए उस प्रयोजन का कथन इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाए गए किसी ²[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम में अभिव्यक्त कर देना आवश्यक होगा।

(2) यह धारा 1868 की जनवरी के तीसरे दिन के पश्चात् बनाए गए ⁴[केन्द्रीय अधिनियमों] को और 1887 की जनवरी के चौदहवें दिन को या उसके पश्चात् बनाए गए सब विनियमों को भी लागू होती है।

8. निरसित अधिनियमियों के प्रति किए गए निर्देशों का अर्थान्वयन—⁵[(1)] जहां कि यह अधिनियम या इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाया गया कोई ²[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम किसी पूर्व अधिनियमिति के किसी उपबन्ध को निरसित और उपान्तर सहित या रहित पुनः अधिनियमित करता है वहां जब तक भिन्न आशय प्रतीत न हो, ऐसे निरसित उपबन्ध के प्रति किसी अन्य अधिनियमिति या किसी लिखत में के निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्ध के प्रति निर्देश हैं।

⁶[(2) ⁷[जहां कि 1947 के अगस्त के पन्द्रहवें दिन के पूर्व यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के किसी अधिनियम ने] किसी पूर्व अधिनियमिति के किसी उपबन्ध को ⁸[निरसित किया और] उपान्तर सहित या रहित ⁹[पुनः अधिनियमित किया] है वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, ऐसे निरसित उपबन्ध के प्रति किसी ²[केन्द्रीय अधिनियम] या किसी विनियम या लिखत में के निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्ध के प्रति निर्देश हैं।]

9. समय का प्रारम्भ और पर्यवसान—(1) इस अधिनियम के पश्चात् बनाए गए किसी ²[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम में दिनों की आवलियों में के या समय की किसी अन्य कालावधि में के पहले दिन को अपवर्जित करने के प्रयोजन के लिए, “से” शब्द का उपयोग तथा दिनों की आवलियों में के या समय की किसी अन्य कालावधि में के अन्तिम दिन को अन्तर्गत करने के प्रयोजन के लिए “तक” शब्द का उपयोग पर्याप्त होगा।

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिनियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1996 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिनियमों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1919 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा धारा 8 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया।

⁶ 1919 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित।

⁷ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “जहां संसद् का कोई अधिनियम निरसित या पुनः अधिनियमित करता है” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) यह धारा 1868 की जनवरी के तीसरे दिन के पश्चात् बनाए गए सब ¹[केन्द्रीय अधिनियमों] को और 1887 की जनवरी के चौदहवें दिन को या उसके पश्चात् बनाए गए सब विनियमों को भी लागू होती है।

10. समय की संगणना—(1) जहां कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् बनाए गए किसी ²[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम द्वारा किसी भी कार्य या कार्यवाही का किसी भी न्यायालय या कार्यालय में किसी निश्चित दिन को या किसी विहित कालावधि के अन्दर किया जाना निदिष्ट या अनुज्ञात है वहां यदि वह न्यायालय या कार्यालय उस दिन या उस विहित कालावधि के अन्तिम दिन बन्द है तो वह कार्य या कार्यवाही, उस निकट आगामी दिन को जब वह न्यायालय या कार्यालय खुला है, की जाती है तो वह सम्यक् समय में की गई मानी जाएगी :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसे कार्य या कार्यवाही को लागू न होगी जिसे ³इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1877 (1877 का 15) लागू है।

(2) यह धारा 1877 की जनवरी के चौदहवें दिन को या उसके पश्चात् बनाए गए सब ¹[केन्द्रीय अधिनियमों] और विनियमों को लागू होती है।

11. दूरी की माप—इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् बनाए गए किसी ¹[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम के प्रयोजनों के लिए किसी दूरी की माप करने में उस दूरी को, जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, क्षैतिज समतल पर सरल रेखा में मापा जाएगा।

12. अधिनियमितियों में शुल्क का आनुपातिक समझा जाना—जहां कि अब प्रवृत्त या एतत्पश्चात् प्रवृत्त होने वाली किसी अधिनियमिति द्वारा कोई सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क अथवा ऐसी ही प्रकृति का कोई शुल्क किसी माल या वाणिज्या के किसी दिए हुए परिमाण पर, तोल, माप या मूल्य के अनुसार उद्ग्रहणीय है वहां किसी अधिक या न्यून परिमाण पर वैसा ही शुल्क उसी दर के अनुसार उद्ग्रहणीय होगा।

13. लिंग और वचन—सब ²[केन्द्रीय अधिनियमों] और विनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(1) यह समझा जाएगा कि पुल्लिंग वाचक शब्दों के अंतर्गत स्त्रीलिंग आएगा ; तथा

(2) एकवचन शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आएगा और बहुवचन शब्दों के अन्तर्गत एक वचन आएगा।

⁴[13क. [सम्प्रभु के प्रति निर्देश में]]—विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा निरसित।

शक्तियां और कृत्यकारी

14. प्रदत्त शक्तियों का समय-समय पर प्रयोक्तव्य होना—(1) जहां कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् बनाए गए किसी ¹[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम द्वारा कोई भी ^{5***} शक्ति प्रदत्त है वहां ⁴[जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो,] वह शक्ति, अवसर द्वारा यथा अपेक्षित समय-समय पर प्रयोग की जा सकेगी।

(2) यह धारा 1887 की जनवरी के चौदहवें दिन को या उसके पश्चात् बनाए गए ऐसे सब ²[केन्द्रीय अधिनियमों] और विनियमों को भी लागू होती है।

15. नियुक्त करने की शक्ति के अन्तर्गत पदेन नियुक्त करने की शक्ति का होना—जहां किसी ¹[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम द्वारा किसी पद को भरने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति प्रदत्त है वहां जब तक कि अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यदि ऐसी कोई नियुक्ति की जाती है तो वह या तो नाम से या पदाभिधान से की जा सकेगी।

16. नियुक्त करने की शक्ति के अन्तर्गत निलम्बित या पदच्युत करने की शक्ति का होना—जहां कि किसी ¹[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम द्वारा कोई भी नियुक्ति करने की शक्ति प्रदत्त है वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, नियुक्त करने की शक्ति ⁶[तत्समय] रखने वाले प्राधिकारी को ⁷[चाहे अपने द्वारा या किसी अन्य अधिकारी द्वारा] उस शक्ति के प्रयोग में नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को निलम्बित या पदच्युत करने की भी शक्ति होगी।

17. कृत्यकारियों का प्रतिस्थापन—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् बनाए गए किसी ¹[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम में यह उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए कि कोई विधि किसी पद के कृत्यों को तत्समय निष्पादित करने वाले हर व्यक्ति या

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिनियमों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिनियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ अब भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (1908 का 5) देखिए।

⁴ 1919 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित।

⁵ 1919 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “सरकार पर” शब्दों का लोप किया गया।

⁶ 1928 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित।

⁷ 1928 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “इसके द्वारा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

व्यक्ति-संख्या को लागू है वर्तमान में कृत्यों का निष्पादन करने वाले उस आफिसर के या उस आफिसर के, जिसके द्वारा कृत्य सामान्यतः निष्पादित किए जाते हैं, पदीय नाम का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा।

(2) यह धारा 1868 की जनवरी के तीसरे दिन के पश्चात् बनाए गए सब ¹[केन्द्रीय अधिनियमों] को और 1887 की जनवरी के चौदहवें दिन को या उसके पश्चात् बनाए गए सब विनियमों को भी लागू होती है।

18. उत्तरवर्ती—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाए गए किसी ²[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम में किन्हीं कृत्यकारियों के या शाश्वत उत्तराधिकार रखने वाले निगमों के उत्तरवर्तियों से किसी विधि के सम्बन्ध को उपदर्शित करने के लिए कृत्यकारियों से या निगमों से उसका सम्बन्ध अभिव्यक्त कर देना पर्याप्त होगा।

(2) यह धारा 1868 की जनवरी के तीसरे दिन के पश्चात् बनाए गए सब ¹[केन्द्रीय अधिनियमों] को और 1887 की जनवरी के चौदहवें दिन को या उसके पश्चात् बनाए गए सब विनियमों को भी लागू होती है।

19. कार्यालय के मुख्य और अधीनस्थ—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाए गए किसी ¹[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम में यह अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए कि किसी कार्यालय के मुख्य या वरिष्ठ से सम्बन्धित विधि उन उप-पदियों या अधीनस्थों को, जो अपने वरिष्ठ के स्थान पर उस पद के कर्तव्यों का वैध रूप से पालन कर रहे हों, लागू होगी, उस वरिष्ठ के कर्तव्यों को विहित कर देना पर्याप्त होगा।

(2) यह धारा 1868 की जनवरी के तीसरे दिन के पश्चात् बनाए गए सब ²[केन्द्रीय अधिनियमों] को और 1887 की जनवरी के चौदहवें दिन को या उसके पश्चात् बनाए गए सब विनियमों को भी लागू होती है।

अधिनियमितियों के अधीन किए गए आदेशों या बनाए गए नियमों आदि के बारे में उपबन्ध

20. अधिनियमितियों के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं, आदि का अर्थान्वयन—जहां कि किसी केन्द्रीय अधिनियम या विनियम द्वारा कोई ³[अधिसूचना,] आदेश, स्कीम, नियम, प्ररूप या उपविधि निकालने की शक्ति प्रदत्त की गई है वहां यदि ³[अधिसूचना,] आदेश, स्कीम, नियम, प्ररूप या उपविधि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाई जाती है तो उसमें प्रयुक्त पदों, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो शक्ति प्रदत्त करने वाले अधिनियम या विनियम में हैं।

21. अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उपविधियों के निकालने की शक्ति के अन्तर्गत उनमें जोड़ने, उनका संशोधन करने, उनमें फेरफार करने या उनका विखण्डन करने की शक्ति का होना—जहां कि किसी ¹[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम द्वारा ³[अधिसूचनाओं,] आदेशों, नियमों या उपविधियों के ⁴[निकालने] की शक्ति प्रदत्त की गई है वहां इस प्रकार ⁵[निकाले गए] किन्हीं भी ³[अधिसूचनाओं,] आदेशों, नियमों या उपविधियों में जोड़ने, उनका संशोधन करने, उनमें फेरफार करने या उनका विखण्डन करने की वैसी ही रीति से तथा वैसी मंजूरी और शर्तों के (यदि कोई हों) अध्यधीन रहते हुए प्रयोक्तव्य शक्ति, उस शक्ति के अन्तर्गत आती है।

22. अधिनियमिति पारित और प्रारम्भ होने के बीच नियमों या उपविधियों का बनाया जाना तथा आदेशों का निकाला जाना—जहां कि किसी ऐसे ²[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम के, जिसे अपने पारित होते ही प्रवृत्त नहीं होना है, लागू होने के बारे में, अथवा तदधीन किसी न्यायालय या कार्यालय की स्थापना या किसी न्यायाधीश या आफिसर की नियुक्ति के बारे में अथवा उस व्यक्ति के जिसके द्वारा या उस समय के जब या उस स्थान के जहां या उस रीति के जिसमें या उन फीसों के जिनके लिए उस अधिनियम या विनियम के अधीन कोई बात की जानी है, बारे में नियम या उपविधियां बनाने की या आदेश निकालने की शक्ति उस अधिनियम या विनियम द्वारा प्रदत्त है वहां वह शक्ति उस अधिनियम या विनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय प्रयोग में लाई जा सकेगी, किन्तु इस प्रकार बनाए गए नियम या उपविधियां या निकाले गए आदेश तब तक प्रभावशील नहीं होंगे जब तक कि उस अधिनियम या विनियम का प्रारम्भ न हो जाए।

23. नियमों या उपविधियों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने में लागू होने वाले उपबन्ध—जहां कि किसी ¹[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम द्वारा नियम या उपविधियां बनाने की शक्ति का, ऐसी शर्त के अध्यधीन दिया जाना अभिव्यक्त है कि नियम या उपविधियां पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाई जाएं, वहां निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात् :—

(1) नियमों या उपविधियों को बनाने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी, उन्हें बनाने के पूर्व, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिन पर तद्द्वारा प्रभाव पड़ना संभाव्य है, प्रस्थापित नियमों या उपविधियों का प्रारूप प्रकाशित करेगा ;

(2) वह प्रकाशन ऐसी रीति से, जो वह प्राधिकारी पर्याप्त समझता है अथवा यदि पूर्व प्रकाशन के बारे में की ऐसी अपेक्षा करती है तो ऐसी रीति से, जैसी कि ⁶[सम्पृक्त सरकार] विहित करे किया जाएगा ;

¹ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिनियमों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिनियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1903 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 1903 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा “बनाने” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1903 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा “बनाए गए” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “केन्द्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(3) उस प्रारूप के साथ एक सूचना प्रकाशित की जाएगी जिसमें वह तारीख विनिर्दिष्ट होगी जिस तारीख को या के पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जाएगा ;

(4) नियमों या उपविधियों को बनाने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी और जहां कि नियम या उपविधियां किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी, अनुमोदन या सहमति से बनाई जानी हैं वहां वह प्राधिकारी भी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर विचार करेगा जो नियमों या उपविधियों को बनाने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी को ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उस प्रारूप के बारे में किसी व्यक्ति से प्राप्त हों ;

(5) नियमों या उपविधियों को पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाने की शक्ति के प्रयोग में बनाए गए तात्पर्यित नियम या उपविधि का ¹[शासकीय राजपत्र] में प्रकाशन इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह नियम या उपविधि सम्यक् रूप से बनाई गई है ।

24. निरसित और पुनः अधिनियमित अधिनियमितियों के अधीन निकाले गए आदेशों आदि का चालू रहना—जहां कि कोई ²[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् निरसित तथा उपान्तरों सहित या रहित पुनः अधिनियमित किया जाता है वहां जब तक कि अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबन्धित न हो उस निरसित अधिनियम या विनियम के अधीन ³[की गई या] निकाली गई कोई ³[नियुक्ति, अधिसूचना,] आदेश, स्कीम, नियम, प्रारूप या उपविधि वहां तक जहां तक कि वह पुनः अधिनियमित उपबन्धों से असंगत नहीं है, प्रवृत्त बनी रहेगी तथा यदि और जब तक कि वह इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन ³[की गई या] निकाली गई किसी ³[नियुक्ति, अधिसूचना,] आदेश, स्कीम, नियम, प्रारूप या उपविधि द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए इस प्रकार पुनः अधिनियमित उपबन्धों के अधीन ³[की गई या] निकाली गई समझी जाएगी ⁴[और जब कि किसी ²[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम को जिसे ⁵शीड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट, 1874 (1874 का 14) की धारा 5 या 5ए के या किसी ऐसी ही विधि के अधीन, किसी स्थानीय क्षेत्र पर विस्तारित कर दिया गया है, किसी पश्चात्पूर्वी अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या उसके भाग से प्रत्याहृत या उस पर पुनः विस्तारित कर दिया गया है, तब ऐसे अधिनियम या विनियम के उपबन्धों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे ऐसे क्षेत्र या उसके भाग में इस धारा के अर्थ के अन्दर निरसित और पुनः अधिनियमित किए गए हैं ।]

प्रकीर्ण

25. जुर्मानों की वसूली—भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 63 से लेकर 70 तक और जुर्मानों के उद्ग्रहण के लिए वारंटों के निकाले जाने और निष्पादन करने से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के उपबन्ध किसी भी अधिनियम, विनियम, नियम या उपविधि के अधीन अधिरोपित सब जुर्मानों को तब के सिवाय लागू होंगे जबकि उस अधिनियम, विनियम, नियम या उपविधि में तत्प्रतिकूल कोई अभिव्यक्त उपबन्ध अन्तर्विष्ट हो ।

26. दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन दण्डनीय अपराधों के बारे में उपबन्ध—जहां कि कोई कार्य या लोप दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन कोई अपराध गठित करता है वहां अपराधी उन दोनों अधिनियमितियों के या उनमें से किसी के भी अधीन अभियोजित और दण्डित किए जाने के दायित्व के अधीन होगा किन्तु उसी अपराध के लिए दो बार दण्डित किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा ।

27. डाक द्वारा तामील का अर्थ—जहां कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाया गया कोई ²[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम किसी दस्तावेज की डाक द्वारा तामील की जानी प्राधिकृत या अपेक्षित करता है चाहे “तामील” अथवा “देना” या “भेजना” , इन दोनों में से किसी भी पद का अथवा किसी अन्य पद का उपयोग किया गया हो वहां जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो उस दस्तावेज को अन्तर्विष्ट रखने वाले पत्र उचित रूप से पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा डाक में भेजने से तामील हुई समझी जाएगी और जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह समझा जाएगा कि तामील उस समय हो चुकी है जब वह पत्र डाक के मामूली अनुक्रम में परिदत्त हो जाता ।

28. अधिनियमितियों का प्रोद्घरण—(1) किसी ²[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम में तथा ऐसे अधिनियम या विनियम के अधीन उसके प्रति निर्देश से बनाए गए किसी नियम, उपविधि, लिखत या दस्तावेज में किसी अधिनियमिति को उसके प्रदत्त नाम या संक्षिप्त नाम, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश से अथवा उसके संख्यांक और वर्ष के प्रति निर्देश से प्रोद्घृत किया जा सकेगा तथा किसी अधिनियमिति के किसी भी उपबन्ध को उस अधिनियमिति की, जिसमें वह उपबन्ध अन्तर्विष्ट है, धारा या उपधारा के प्रति निर्देश से प्रोद्घृत किया जा सकेगा ।

(2) इस अधिनियम में तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाए गए किसी ²[केन्द्रीय अधिनियम] या विनियम में, किसी दूसरी अधिनियमिति के प्रभाग के वर्णन या प्रोद्घरण का, जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके

¹ विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा “राजपत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिनियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

³ 1903 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁴ 1914 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित ।

⁵ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

⁶ देखिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) ।

अन्तर्गत वह शब्द, धारा या अन्य भाग आता है जिसका इस रूप का उल्लेख या निर्देश है कि वह उस वर्णन या प्रोद्धरण में समाविष्ट प्रभाग का आरम्भ है और अन्त है।

29. पूर्व अधिनियमितियों, नियमों और उपविधियों के लिए व्यावृत्ति—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाए गए अधिनियमों, विनियमों, नियमों या उपविधियों के अर्थान्वयन के बारे में इस अधिनियम के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व बनाए गए किसी अधिनियम, विनियम, नियम या उपविधि के अर्थान्वयन पर प्रभाव नहीं डालेंगे, यद्यपि वह अधिनियम, विनियम, नियम या उपविधि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बनाए गए किसी अधिनियम, विनियम, नियम या उपविधि द्वारा चालू रखी गई हो या संशोधित की गई हो।

¹[**30. अधिनियम का अध्यादेशों को लागू होना**—इस अधिनियम में धारा 5 के सिवाय, ²[केन्द्रीय अधिनियम] पद जहां कहीं भी वह आया है तथा धारा 3 के खंडों ³[(9), (13), (25), (40), (43), (52) और (54)] में और धारा 25 में “अधिनियम” शब्द के बारे में यह समझा जाएगा कि इसके अन्तर्गत इंडियन कोन्सल्स ऐक्ट, 1861 की धारा 23 ⁴[या गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1915 की धारा 72] ⁵[या गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 42 ⁶***] के अधीन गवर्नर-जनरल द्वारा बनाया गया और प्रख्यापित अध्यादेश ⁷[और संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश] आते हैं। 24 और 25 विक्ट सी० 67.5 और 6 जी० ओ० 5, सी० 61, 26 जी० ओ० 5, सी० 2.

30क. [गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अधिनियम का लागू होना।] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित।

31. [किसी प्रान्त के स्थानीय सरकार के प्रति निर्देशों का अर्थ।]—भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित।

अनुसूची—[अधिनियमितियां निरसित।]—निरसन और संशोधनकारी अधिनियम, 1903 (1903 का 1) की धारा 4 और अनुसूची 3 द्वारा निरसित।

¹ 1914 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधिनियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “खंड (9), (12), (38), (48) और (50)” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1917 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित।

⁵ भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित।

⁶ विधि अनुकूलन आदेश, 1947 द्वारा “या धारा 43” शब्दों और अंक का लोप किया गया।

⁷ विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा जोड़ा गया।

⁸ 1923 के अधिनियम सं० 11 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित।

⁹ 1920 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंतःस्थापित।